SCMJ-2023/119

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर**

**अजयवीर कौर बनाम रणजीत कौर वगैरा**

**अपील सं025/2023**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 02.06.2023 | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है।<br>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 04 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.11.2011 की कियान्विति स्थगति की जाकर अपीलाधीन भूमि वाके चक 3 सी छोटी के मुरब्बा नम्बर 5,37 व 38 की 7.730 हैक्टयर भूमि व खाता संख्या 6/3 के मुरब्बा नम्बर 38 की 1.240 हैक्टर व खाता संख्या 7/92 के मुरब्बा नम्बर 16,38 की 4.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 2 सी छोटी के खाता संख्या 7/34 के मुरब्बा नम्बर 46 की 3.289 हैक्टयर कुल 8.793 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिशिचित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोडेन्ट एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.06.2023 को पेश हो।<br>अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)<br>श्रीगंगानगर | |
| 05.06.2023 | अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर दिया गया है इस कारण उक्त प्रकरण में पत्रावली पेशी में ली जाकर निर्णय करने का प्रयास नही किया जावें। अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2), सपठित धारा 107 (2) एवं 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई हेतु पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्तु सुनवाई दिनांक 14.06.2023 को पेश हो। | |

27/3/24

पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ ...प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 24.4.24 को पेश हो।

24.4.24

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03.5.24 को पेश हो।

03/5/24

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की तरफ से अधिवक्ता सविता जोरा वगैरा द्वारा पत्रावली पेश की प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते इन्तजार राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 8/5/2024 को पेश हो।

08.5.24

पीठासीन अधिकारी अवकाश ~~भ्रमण~~ पर ........ ~~कार्य मे व्यस्त है।~~ पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15.5.24 को पेश हो! पुनः अपीलार्थीया अजयवीर कौर उपस्थित। अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अपीलार्थीया को आगामी पेशी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 16/5/24 को पेश हो।

Ajayveer kaur
8.5.24
Identify by me
Adv. Navjeet Parmar

16/5/2024

अधिवक्ता अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस श्री प्रदीप सिंहाग एवं विरेन्द्र सिहाग उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थिया एवं स्वयं अपीलार्थिया ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05. 2024.2024 को प्रस्तुत .कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त अपील अपीलांट द्वारा तहसीलदार के इन्तकाल संख्या 4024 दिनांक 21.11.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट का अन्य पक्षकारगण/रेस्पोडेन्टस के साथ परिवार के सगे संबंधियों व मौतबिरान लोगों के द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है अपील में राजीनामा हो जाने के कारण अपील अपीलांट वर्तमान में अपील में अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, इसलिए वर्तमान अपील को इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर करवाना चाहती है। अतः उक्त अनवानी अपील को इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर के आदेश पारित किये जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थिया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो गया है एवं अपीलार्थिया स्वयं राजीनामा के आधार पर अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो जाने एवं अपीलार्थिया द्वारा स्वयं अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

Navjeet Parmar Adv
16.5.24

VK Silag
16/5/24
(Vijander Ku. Silag)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) 16/5/24